राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
ईमेल–itcelldlb.jaipur@rajasthan.gov.in वेब साईट–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : DLB/MCELL/EODB/Online/2020/9114 दिनांक :– 08/04/202

कार्यालय आदेश

राज्य मे ई–गर्वेनेंस को सुदृढ़ किये जाने हेतु एव केन्द्र सरकार की योजना EoDB/DLBRAP एवं NUDM के लक्ष्य सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विभागीय सेवाओं को आमजन की सुविधा हेतु ONLINE माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त सेवाऐ DoIT द्वारा विकसित कर ऑनलाईन की गई सेवाऐं सभी नगरीय निकायो मे सचालित है। वर्तमान में ऑनलाईन सेवाओं हेतु बहुतायत में नागरिको द्वारा आवेदन प्राप्त हो रहे है, परन्तु प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में आवेदनों की निष्पादन दर अत्यधिक कम है, जिससे की विभागीय ई–गर्वेनेंस उद्देश्य प्राप्त नही हो पा रहे है।

अत विभागीय ऑनलाईन सेवाओं के सुचारू सचालन एव उपयोग हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु सेवा के प्रकार अनुसार प्रत्येक सेवा हेतु विभाग में निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:–

Sr. No.	Services	Nodal officer	Section
1	BPAS	ACTP	Town Planning Section
2	90A	AD	Land Section
3	MUTATION	AD	Land Section
4	SUB DIVISION AND RECONSTITITION	ACTP	Town Planning Section
5	LEASE DEED (PATTA)	AD	Land Section
6	FIRE NOC	DDA	FIRE Related Section
7	TRADE LICENSE	Sr. Jt. LR	Legal Section
8	MOBILE TOWER	Sr. Jt. LR	Legal Section
9	UD TAX	FA	Account Section
10	PROPERTY ID	ACTP	Town Planning Section
11	SIGNAGE LICENSE	JD(PR)	Public Relation Section
12	SEWER CONNECTION	CE	Engineering Section
13	LEASE MONEY DEPOSIT	FA	Account Section

नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्य सुनिश्चित किया जाना होगा –

1. नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं से संबंधित सेवाओं का विश्लेषण कर सेवा में यदि कोई संशोधन / दुरस्तीकरण / सुझाव अपेक्षित है तो उक्त के संबध मे आई.टी शाखा से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त सशोधन / दुरस्तीकरण / सुझाव किसी निकाय विशेष के परिपेक्ष्य मे ना होकर राज्य की समस्त नगरीय निकायों के परिपेक्ष्य मे होना आवश्यक होगा।

2. सेवा के सुचारू संचालन हेतु समस्त नगरीय निकायों का आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर नियमित अन्तराल पर सभी सेवाओं के प्रगृति का आंकलन कर रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित करेंगे।
3. समस्त नोडल अधिकारी द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्त नवीनतम आदेश/परिपत्र /नियम/शुल्क आदि आई.टी. शाखा को उपलब्ध करावें, जिससे की उक्त को आमजन की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जा सके।
4. नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित सेवा का निकायों द्वारा अधिकाधिक उपयोग एवं आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना होगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : DLB/MCELL/EODB/online/2020/9715-2719 **दिनांक** :– 08/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित सेवा नोडल अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को भेजकर लेख है कि इस हेतु तकनिकी सहायता देना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव